न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीनअधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 44 / 2022

अनवान : –

1. दुनीराम पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी सवाईछानी त0 भादरा।
2. मोदूराम पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी सवाईछानी त0 भादरा।

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्व सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :–श्री संदीप गौदारा प्रार्थीगण
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 22/8/22

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 6 जेएसएल के खाता सं0 55 / 66 के मु0न0 28, 30, 34, 35 की कुल 10.8660है0 बारानी खातेदारी में प्रार्थी दुनीराम के नाम 75 / 1811 हिस्सा व प्रार्थी मोदूराम के नाम 75 / 1811 हिस्सा व इसी प्रकार चक 10 जेएसएल के खाता सं0 97 / 90 के मु0न0 6, 7, 8, 22 ता 25 की कुल 15.9390है0 बारानी खातेदारी में प्रार्थीगण प्रत्येक के 1 / 24 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि प्रार्थीगण को विरासतन अपने पिता चन्दगीराम से प्राप्त हुई थी लेकिन विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम दुनीराम पुत्र चन्दगीराम की जगह दुनीराम पुत्र चन्दगी व मोदुराम की जगह मोडूराम पुत्र चन्दगी दर्ज हो गया। प्रार्थीगण के सभी दस्तावेजो यथा आधारकार्ड, राशनकार्ड, पैनकार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचान–पत्र, बैंक पासबुक आदि में प्रार्थीगण का सही नाम दुनीराम पुत्र चन्दगीराम व मोदूराम पुत्र चन्दगीराम दर्ज है। इस प्रकार आज दिनांक तक नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थीगण अपने हक हिस्सा की भूमि का सही प्रकार से उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहे है। अतः राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम दुनीराम पुत्र चन्दगीराम व मोदूराम पुत्र चन्दगीराम दुरूस्त करवा पाने के प्रार्थीगण कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तथा तहसीलदार भादरा से रिपॉर्ट ली गई।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता का नाम चन्दगीराम था तथा प्रार्थीगण का सही नाम क्रमशः दुनीराम पुत्र चन्दगीराम व मोदूराम पुत्र चन्दगीराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय दुनीराम पुत्र चन्दगी व मोडूराम पुत्र चन्दगी दर्ज हो गया जिससे प्रार्थीगण को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है । अतः मुताबिक प्रार्थीगण के दस्तावेजों के आधार पर व तहसीलदार भादरा की रिपॉर्ट के अनुसार प्रार्थीगण का राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने रोही मौजा चक 6 जेएसएल के खाता सं0 55/66 के मु0न0 28, 30, 34, 35 की कुल 10.8660है0 बारानी खातेदारी में प्रार्थी दुनीराम के नाम 75/1811 हिस्सा व प्रार्थी मोदूराम के नाम 75/1811 हिस्सा व इसी प्रकार चक 10 जेएसएल के खाता सं0 97/90 के मु0न0 6, 7, 8, 22 ता 25 की कुल 15.9390है0 बारानी खातेदारी में प्रार्थीगण प्रत्येक के 1/24 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रार्थीगण दुनीराम पुत्र चन्दगी व मोडूराम पुत्र चन्दगी की जगह अपना सही नाम दूनीराम पुत्र चन्दगीराम व मोदूराम पुत्र चन्दगीराम दर्ज करवाना चाहते है। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, राशनकार्ड, पैनकार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचान–पत्र, बैंक पासबुक व तहसीलदार भादरा की रिपॉर्ट के मुताबिक भी सही नाम दुनीराम पुत्र चन्दगीराम व मोदूराम पुत्र चन्दगीराम दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 6 जेएसएल के खाता सं0 55/66 के मु0न0 28, 30, 34, 35 की कुल 10.8660है0 बारानी खातेदारी में प्रार्थी दुनीराम के नाम 75/1811 हिस्सा व प्रार्थी मोदूराम के नाम 75/1811 हिस्सा व इसी प्रकार चक 10 जेएसएल के खाता सं0 97/90 के मु0न0 6, 7, 8, 22 ता 25 की कुल 15.9390है0 बारानी खातेदारी में प्रार्थीगण प्रत्येक के 1/24 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में दर्ज **प्रार्थीगण के नाम दुनीराम पुत्र चन्दगी व मोडूराम पुत्र चन्दगी की जगह प्रार्थीगण का सही नाम दुनीराम पुत्र चन्दगीराम व मोदूराम पुत्र चन्दगीराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त करें।** यदि पहले से किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि दुनीराम पुत्र चन्दगी व मोडूराम पुत्र चन्दगी के नाम से हो तो उसके लिए प्रार्थीगण का नाम पूर्व का ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक 22/8/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (RAS)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़